144

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2289—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—06—2014 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार परगना चन्देरी, जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 02/बी—121/2013—14

.....

धूमन सिंह पुत्र जालम सिंह यादव
निवासी—ग्राम बरोदिया, तहसील चन्देरी,
जिला—अशोकनगर, (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

1— उमराव पुत्र लक्ष्मण रावत
2— सनमान पुत्र केहरि रावत
निवासी—ग्राम बरोदिया, तहसील चन्देरी,
जिला—अशोकनगर, (म0प्र0)
3— मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री लाखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 3

.....

आदेश

(आज दिनांक 7-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार परगना चन्देरी, जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 02/बी—121/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 11—06—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में सार यह है कि ग्राम बरोदिया, तहसील चन्देरी, जिला—अशोकनगर में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 117/3/1 रकबा 1.317 हैक्टर को अनावेदक क्र0 1 ने

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 25.08.1989 को अनावेदक क्र0 2 के पक्ष से विक्रय कर दिया । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक क्र0 2 का नामांतरण स्वीकार किया जाकर भूमि स्वामी घोषित किया गया । अनावेदक क्र0 2 द्वारा उक्त भूमि आवेदक को मौखिक अनुबंध द्वारा पट्टे पर देकर कब्जा सौंप दिया गया । जब से ही आवेदक उक्त भूमि पर काबिज होकर पट्टे की शर्तों के अनुसार आवेदक, अनावेदक क्र0 2 को शासकीय लगान के रूप में रुपये 150/– अदा करते हुये चला आ रहा है । आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाने के कारण नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रमांक 4/अ–46/1991–92 पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 28.04.1992 के द्वारा आवेदक को भूमि सर्वे नम्बर 117/3/1 मि. 0.418 0 119 रकबा 0.366 है0 पर आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत होने से आवेदक को मौरूषी कृषक से भूमिस्वामी घोषित किया गया तथा धारा 110 के अंतर्गत नामांतरण स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना, चन्देरी कि न्यायालय में संहिता की धारा 170 के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया । प्रकरण विधिवत न्यायालय में दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 26.09.2013 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्र0 1 को पुनः नामांतरण करने का निर्देश अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चन्देरी को दिया गया । अनावेदक क्र0 1 द्वारा नायब तहसीलदार परगना, चन्देरी के समक्ष एक आवेदन–पत्र सर्वे नम्बर 117/3/1 रकबा 1.317 है0 पर पटवारी अभिलेख में अमल करने बावत प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 02/बी–121/2013–14 पर दर्ज किया गया, जिसमें दिनांक 16.07.14 को पटवारी रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात पुनः मौका स्थल जांच रिर्पोट पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से प्रस्तुत करने बावत् दिनांक 11.06.2014 को आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.04.1992 के खिलाफ अनावेदकगण द्वारा किसी भी समक्ष न्यायालय में निगरानी/अपील प्रस्तत नहीं की गई है । उक्त आदेश दिनांक 28.04.1992 के द्वारा अनावेदक क्र0 2 के स्थान पर आवेदक को भूमि स्वामी घोषित किया जाकर नामांतरण स्वीकार किया है । अनावेदक क्र0 1 द्वारा उक्त विवादित भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 25.08.1989 के द्वारा अनावेदक क्र0 2 को विक्रय कर चुका है और अनावेदक क्र02 के स्थान

आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया जाकर भूमि स्वामी घोषित किया गया है । अनावेदक ।लपूर्वक आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि पर जबरन कब्जा कर एवं आवेदक का नाम विलोपित कराकर अपना अमल कराने की कोशिश अनावेदक क्र0 1 जिस भूमि पर कर रहा है। वह भूमि उसके द्वारा अनावेदक क्र0 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 25.08.1989 को विक्रय कर दी गई है । यदि अनावेदक क्र0 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधता–अवैधता पर कोई आपत्ति है तो वह सिविल न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न मानते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना, चन्देरी कि न्यायालय में संहिता की धारा 170 के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया । प्रकरण विधिवत न्यायालय में दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 26.09.2013 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्र0 1 को पुनः नामांतरण करने का निर्देश अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चन्देरी को दिया गया । नायब तहसीलदार, चन्देरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, परगना के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में पुनः कार्यवाही प्रारंभ करते हुये, दिनांक 16.07.14 को पटवारी रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात पुनः मौका स्थल जांच रिर्पोट पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से प्रस्तुत करने बावत् दिनांक 11.06.2014 को आदेश पारित किया गया । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 170 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति स्तर व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा रखता है, तो उसे यह साबित करना आवश्यक है कि यह भूमि उसके कब्जें में कैसे आई। इसी न्यायिक दृष्टांत के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी परगना द्वारा दिनांक 26.09.2013 को जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसंगत है तथा नायब तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही कर दिनांक 11.06.2014 को आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

,/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि नायब तहसीलदार परगना, चन्देरी द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 11–06–2004 विधिसंगत है । फलतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर